भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1188
दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

छत्तीसगढ़ में भूमि का स्वामित्व

1188. श्री राधेश्याम राठियाः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भू-स्वामित्व प्रबंधन के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(ख) विवाद समाधान को सरल बनाने, न्यायालयों पर बोझ कम करने और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में डिजिटल अभिलेखों की क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भूमि के डिजिटल अभिलेख अनुरक्षित किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कुल कितने भूमि अभिलेखों का डेटा पूरी तरह से डिजिटलीकृत किया गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) जी, हां। भारत सरकार, देश में भूमि अभिलेखों/रजिस्ट्रीकरण प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए, वर्ष 2016-17 से केंद्र सरकार की ओर से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ 'डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)' नामक एक व्यापक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इसे छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

(ख) डीआईएलआरएमपी, भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, ग्रामीण या शहरी, निर्धन या धनी, किसान या मजदूर या उद्यमियों आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना, भारत के नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें लाभान्वित करने हेतु भूमि सूचना और प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए एक डिजिटल पहल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डिजिटल भूमि अभिलेखों का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, त्रुटिरहित, पारदर्शी और छेड़छाड़-रहित भूमि अभिलेख उपलब्ध कराना, भूमि विवादों को कम करना, संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा नीति/नियोजन आदि में सहायता करना है।

(ग) जी, हां। भूमि के डिजिटल अभिलेखों का रखरखाव संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जा रहा हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वह "भुइयां ऑनलाइन पोर्टल" - लिंक https://bhuiyan.cg.nic.in/ के माध्यम से भूमि के डिजिटल अभिलेखों का रखरखाव कर रही है।

(घ) डीआईएलआरएमपी प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 99.7% (अर्थात् 2,38,33,340 में से 2,37,78,896) खसरा/अधिकारों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

*****